संख्या-8/2023/ 83/004-53-2002-099-1-2022

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ

दुग्ध विकास अनुभाग -2 **लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में निर्माणाधीन डेयरी परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-722/दुग्ध-6/इंजी0/उ0प्र0अव0को0पत्रा0/2022-23, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 एवं पत्रांक-919/ दुग्ध-6/इंजी0/उ0प्र0अव0को0पत्रा0/2022-23, दिनांक 20 जनवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में निर्माणाधीन डेयरी परियोजना को पूर्ण किये हेतु प्राविधानित धनराशि रू 5698.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1424.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में डेयरी परियोजना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5698.00 लाख के सापेक्ष(प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-27/2022/681/003-53-2002-099-01-2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022 द्वारा रू0 1424.50 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।) द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1424.50 लाख (रूपये चौदह करोड चौबीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को, जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत के उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके उपलब्ध करायी जायेगी ।
2. प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय /उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा वर्तमान और पूर्व के दुग्ध प्लांटों को optimum plant utilization के स्तर को प्राप्त करते हुए संचालित किया जायेगा, जिससे निवेशित धनराशि का पूर्ण उपयोग हो सके।
7. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा नाबार्ड को समय से ऋण की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा इसकी कार्ययोजना सक्षम स्तर से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
8. ऋण/ ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ(डिफाल्टर) होने पर निर्धारित दर पर ही ब्याज देय होगा अर्थात ब्याज की दरों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। ब्याज की दण्डात्मक दर मूलराशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू रहेगी।
9. प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/पीसीडीएफ द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्सेज अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
10. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ती(डुप्लीकेशी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. ऋण के रूप में पीसीडीएफ को उपलब्ध करायी जा रही प्रश्नगत धनरशि हेतु ऋण की शर्तो का निर्धारण वित्त(आय-व्ययक)अनु0-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-4-857/दस-2016-6-1965, दिनांक 28 दिसम्बर 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2022 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,24,50,000 (रुपये चौदह करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 6404001900300 जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2023/83(1)/004-53-2002-099-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वतीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0शासन।
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।